प्रपत्र सं0-49 भाग संख्या IV

प्रकीर्ण बाद में आदेश

न्यायालय- मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण स्थान- झांसी मोटर दुर्घटना वाद संख्या- 313 सन् 2015 दावा प्रस्तुति दिनांक-04/08/2015

- 1. श्रीमती रामलता सिंह पत्नी स्व. श्री हाकिम सिंह उम लगभग 56 वर्ष
- 2. हर्ष सिंह गुर्जर पुत्र स्व. श्री हाकिम सिंह उम लगभग 29 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम साकिन थाना समथर जिला झाँसी

....याचीगण

बनाम

1. आनन्द सिंह सोलंकी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी नि. थापक बाग थाना कोतवाली जिला झाँसी

...... वाहन मालिक एवं चालक वाहन सं. यू.पी. ७० सी वाई ५५५६ (सफारी)

2. दि न्यू इण्डिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये मण्डलीय प्रबन्धक कचहरी चौराहा झाँसी

......बीमाकर्ता वाहन सं. यू.पी. ७० सी वाई ५५५६ (सफारी)

..... विपक्षीगण

Advocate for the Petitioners Sri. Pramod Mishra Advocate for the OP 1 Sri. Mhd. Shamim Khan Advocate for the OP 2 Sri Arun Srivastwa

टिप्पणी- जो पते कि ऊपर दिये गये है यह पक्षकारों ने को छोडकर, जो उपस्थित नहीं हुये तामील प्रयोजन से दाखिल किये है। दावा अंतर्गत धारा- 166 व 140 मो0 व्ही0 एक्ट

मुबलिंग के लिए दावा - ₹89,50,000

आवेदक के लिए Sri Pramod Mishra और प्रतिपक्षकार के लिये Sri Mhd. Shamim Khan, Sri Arun Shrivastav अभिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद के दिनांक 14.09.2020 को श्री चंद्रोदय कुमार पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण झांसी के समक्ष निर्णय के लिये पेश होने पर एतदद्वारा आविष्ट किया जाता है कि –

The Petition is partly allowed for the compensation amount ₹ 31,40,906 (Thirty One Lac Forty Thousand Nine Hundred Six) against OP No.1. This amount has to be indemnified by the OP No. 2 The New India Insurance Company Limited with 7.5% simple annual interest from the date of institution of the petition till actual recovery. Out of this amount Petitioner Nos. 1 and 2 shall share in the ratio of 80 and 20 respectively. 75% of the shares of the Petitioners shall be disbursed in the form of annuity for 3 and 5 years respectively and 25% shall be transferred through RTGS/NEFT in their bank accounts. The New India Insurance Company Limited is ordered to deposit the compensation amount with interest within 30 days from today in the Tribunal's Punjab National Bank Account No. 3671000101192489 IFSC− PUNB0367100 through RTGS/NEFT. Awards be prepared accordingly.

23.11.2020

(Chandroday Kumar)
Presiding Officer
Motor Accident Claim Tribunal, Jhansi